

मिसिल सं. एच 28015/1/2019.ई-II

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक अगस्त, 2019

Mr. Chandra Ketu Singh के अपील संख्या DOHED/R/2019/51435 दिनांक 18 जुलाई, 2019 के संदर्भ में अपीलीय आदेश।

यह आपके आरटीआई आवेदन संख्या DOHED/R/2019/51435 दिनांक 18 जून 2019 के लिए इस विभाग द्वारा दिए गए उत्तर दिनांक 16 जुलाई, 2019 के विरुद्ध आपके द्वारा की गयी आरटीआई अपील संख्या DOHED/A/2019/60191 दिनांक 18 जुलाई, 2019 के संदर्भ में है।

2. यह देखा गया है कि आपकी अपील कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उन अनुदेशों की आपूर्ति से संबंधित है जो अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ही प्रभाग में रोटेशनल आधार पर स्थानांतरण करने के संदर्भ में हैं। वस्तुतः संबंधित विभाग यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस विभाग को ऐसे कोई निर्देश उपलब्ध नहीं हैं जिन्हें आपके साथ इस मामले में साझा किया जाए।

3. तदनुसार आपकी अपील का निस्तारण किया जाता है। यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार **केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली 67**-के समक्ष द्वितीय अपील कर सकते हैं।

(सैयद इकरम रिजवी)

निदेशक (प्रशासन) तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी

सेवा में-

Shri Chandra Ketu Singh
A-914 GD Colony,
Mayur Vihar Phase 3
Delhi-110096

प्रतिलिपि-

अवर सचिव तथा के. लो. सू. अ. (प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली.